

पत्रांक 149/  
सेवा में,

/ 63 बजट (परि0सं0/कन्सल्टेन्सी)/2017-18

दिनांक 04/01/2018

मुख्य अभियन्ता स्तर- I/ स्तर- II,  
क्षेत्रीय/राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय,  
लो0नि0वि0 नई टिहरी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/देहरादून।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 3054 (राजस्व) परियोजना संरचना/ परीक्षण/  
गुणवत्ता/कन्सल्टेन्सी मद में आवंटन।

सन्दर्भ:- (1) शासनादेश संख्या-213/III (2)/17-04 (बजट)/2017 दिनांक-10.04.2017  
(2) शासनादेश संख्या-1583/III (2)/17-04 (बजट)/2017 दिनांक-18.07.2017  
(3) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या 605/63 बजट (परि0सं0/कन्सल्टेन्सी)/2017-18 दि0 04.07.2017  
(4) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या 952/63 बजट (परि0सं0/कन्सल्टेन्सी)/2017-18 दि0 11.09.2017

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेशों (क0सं0 1 एवं 2) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-305404337030916 (राजस्व) परियोजना संरचना/परीक्षण/गुणवत्ता/कन्सल्टेन्सी भुगतान मद में शासनादेशवार कुल ₹ 800.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित आवंटन पत्रों (क0सं0 3 एवं 4) द्वारा खण्डों को पूर्व में कुल ₹ 379.78722 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा फील्ड अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में कन्सल्टेन्सी सेवाओं हेतु सूचित घनावंटन की मांग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार कार्यवार/खण्डवार कुल ₹ 57.73103 लाख (₹ सत्तावन लाख तिहत्तर हजार एक सौ तीन मात्र) की धनराशि इंगित शर्तों के अनुसार आवंटित की जाती

आवंटन की शर्त:- (1) संलग्न विवरणानुसार कार्यवार/खण्डवार आवंटन के सापेक्ष सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी कार्यों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवंटित धनराशि उसी कार्य/प्रयोजन में व्यय की जायेगी जिस हेतु धनराशि आवंटित की गई है।

- (2) संलग्न विवरणानुसार आवंटित धनराशि किसी भी दशा में अन्य कार्यों/योजनाओं में व्यय नहीं की जायेगी और न ही आवंटन से अधिक का व्यय किया जायेगा। व्याधिक्य किये जाने, व्यावर्तन किये जाने अथवा नियमविरुद्ध व्यय किये जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं का माना जायेगा जिनके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के स्तर से नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) संलग्न विवरणानुसार कार्यवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेन्ट) नियमावली 2017 में निहित सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।
- (5) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (6) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा कन्सल्टेन्सी कार्य की रिपोर्ट चरणबद्ध एवं निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त करते हुये प्राप्त रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन, जाँच एवं परीक्षण सक्षम स्तर से कराते हुये आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में निहित समस्त शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि नियमानुसार व्यय की जायेगी।
- (8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0 22, ले0शी0 3054 सड़क तथा सेतु-04 जिला और अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत-09 परियोजना संरचना/परीक्षण/ कन्सल्टेन्सी आदि-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न:- कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (1 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- (2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- (3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून। साख-सीमा जारी करने हेतु।
- (4) अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ/सिविल/प्रथम/द्वितीय/रा0मा0 वृत्त लोक निर्माण विभाग .....
- (5) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 .....
- (6) आई.टी. सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्न:- कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (1 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

10.1.2018

पत्रांक 1491 /63 बजट (परि0सं0/कन्सल्टेन्सी)/2017-18 दिनांक 04/01/2018 का संलग्नक।  
 वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 3054 (राजस्व) के अन्तर्गत परियोजना संरचना/परीक्षण/गुणवत्ता/कन्सल्टेन्सी मद में आबंटन।  
 अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-3054-04-337-03-09-16 (राजस्व) (धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	पत्र का संदर्भ जिसके द्वारा योजनान्तर्गत धनावंटन की माँग सूचित कराई गई है	कार्य की कन्सल्टेन्सी लागत/पुनरीक्षित स्वीकृति	दि0 01.04. 2017 को अवशेष	वित्तीय वर्ष 2017-18 में फील्ड अधिकारियों द्वारा सूचित माँग	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन		
							पूर्व आवंटन	अब आवंटन	योग, (का.8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जनपद टिहरी गढ़वाल में डोबरा-चौंठी भारी वाहन सेतु निर्माण हेतु कन्सल्टेन्सी कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति (शासनादेश संख्या 4180/111 (2)/17-46(सामान्य)/2013 दि0 29.12.2017 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु 1536.00 लाख- वित्तीय वर्ष 2016-17 तक कुल आवंटन/व्यय रु0 720.59 लाख= दि0 01.04.2017 के उपरान्त वित्तीय अवशेष रु0 815.41 लाख)	नि0ख0 नई टिहरी	शासनादेश संख्या 4180/111 (2)/17-46 (सामान्य)/2013 दि0 29.12.2017	1536.00	815.41	352.34	300.00	-	300.00
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में जलकुर नदी पर पिपलोगी गाँव के लिये 120 मीटर स्पान पैदल झूला पुल के निर्माण हेतु मृदा परीक्षण/अन्वेषण तथा कन्सल्टेन्सी कार्य।	प्रा0ख0 नई टिहरी	मुख्य अभियन्ता, क्षे.का. लो.नि.वि. नई टिहरी का पत्र संख्या 1737/01 बजट/2017 दिनांक 23.08.2017	1.74640	1.74640	1.74640	1.74640	-	1.74640
3	राज्य राजमार्गों में Road Side Land Control Act के अन्तर्गत नोटिफिकेशन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु सर्वेक्षण कार्य तथा कन्सल्टेन्सी का भुगतान।	नि0ख0 रुड़की	मुख्य अभियन्ता, क्षे.का. लो.नि.वि. देहरादून का पत्र संख्या 1305/11 बजट स्तर-1 दिनांक 24.06.2017	19.97582	19.97582	19.97582	19.97582	-	19.97582
4	अल्मोड़ा शहर में अपर माल रोड, लोअर माल रोड व धारानौला को सुरंग द्वारा जोड़ने के लिये फिजिविलिटी स्टडी हेतु कन्सल्टेन्सी भुगतान।	प्रा0ख0 अल्मोड़ा	मुख्य अभियन्ता, क्षे.का. लो.नि.वि. अल्मोड़ा का पत्र संख्या 2384/1292-कु/17 दिनांक 20.12.2017	49.85	9.97	9.97	-	9.97	9.97
5	राजमवन नैनीताल के समीप निहाल नाले के बचाव कार्य की डी0पी0आर0 (द्वितीय चरण) आई0आई0टी0 रुड़की से वेट करवाने हेतु कन्सल्टेन्सी भुगतान।	नि0ख0 नैनीताल	मुख्य अभियन्ता, क्षे.का. लो.नि.वि. हल्द्वानी का पत्र संख्या 3554/02 भवन/2017 दिनांक 04.07.2017	2.0650	2.0650	2.0650	2.0650	-	2.0650
6	राजमवन नैनीताल नैनीताल में निहाल नाले की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक/उपचार कार्य की कन्सल्टेन्सी भुगतान (टी0एच0डी0सी0 के साथ गठित एम0ओ0यू0 के आधार पर)	नि0ख0 नैनीताल	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो.नि.वि. नैनीताल का पत्र संख्या 3601/13 सी0बी0-02/16 दि0 16.10.2017	15.36103	15.36103	15.36103	-	15.36103	15.36103
7	जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर में Peripheral four lane ring road के निर्माण कार्य का सर्वेक्षण एवं फिजीविलिटी परीक्षण आदि कन्सल्टेन्सी कार्य।	नि0ख0 हल्द्वानी	शासनादेश संख्या 1106/111 (2)/17-15 (प्रा0आ0)/2017 दि0 25.07.2017	157.32	157.32	112.00	56.00	-	56.00
8	जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में विभिन्न स्थानों पर रेलवे कासिंग के ऊपर आर.ओ. बी. (7 नं0) के निर्माण हेतु कन्सल्टेन्सी का डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य।	रा0मा0ख0 रुड़की	अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0ख0 लो0नि0वि0 रुड़की का पत्र संख्या 01 कैम्प/दे0दू0 दि0 19.09.2017	17.40	17.40	17.40	-	17.40	17.40
9	उत्तराखण्ड राज्य के नये राष्ट्रीय राजमार्ग पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-उफरखाल-बैजरो मोटर मार्ग का सर्वेक्षण, फिजीविलिटी परीक्षण एवं डी.पी.आर. सम्बन्धी कन्सल्टेन्सी कार्य।	रा0मा0ख0 धुमाकोट	प्रमारी सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन (अनुभाग-3) का पत्र संख्या 259/111 (3)/16-03(एन0एच0)/2016 दिनांक 16.05.2016 एवं अधिशासी अभियन्ता रा.मा.ख. लो.नि.वि. धुमाकोट का पत्र संख्या 148/01 लेखा दि0 17.04.2017	9.63	9.63	9.63	-	5.00	5.00
10	उत्तराखण्ड राज्य के नये राष्ट्रीय राजमार्ग लक्ष्मणझूला-दुगड़डा-नैनीडांडा-शंकरपुर मोटर मार्ग का सर्वेक्षण, फिजीविलिटी परीक्षण एवं डी.पी.आर. सम्बन्धी कन्सल्टेन्सी कार्य।	रा0मा0ख0 धुमाकोट		21.93	21.93	21.93	-	10.00	10.00
योग, (क0सं0 1 से 10 तक)				1831.27825	1070.80825	562.41825	379.78722	57.73103	437.51825

अब आवंटित धनराशि: ₹ सत्तावन लाख तिहत्तर हजार एक सौ तीस मात्र।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

4.1.2018